International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 15-02-2021, Accepted: 04-03-2021, Published: 23-04-2021
Volume 7, Issue 2, 2021, Page No. 102-105

भारतीय रेलवे एवं हिन्दी भाषा

डॉ. श्वेता तिवारी
नचिकेता कॉलेज आफ कार्मस कम्प्यूटर सांईस, एण्ड एडवांस टेक्नोलोजीए जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
हिन्दी के विकास में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। इसकी बानगी देश के कुल 7083 रेलवे स्टेशनों का हिन्दी में लिखे नाम से मिलता है। समस्त भारत के गैर हिन्दी राज्यों में पहले प्रादेशिक भाषा तब हिन्दी व अंग्रेजी में नाम लिखे होते है। स्थानीय स्तर पर जहां रेलवे के दैनिक कार्यों में पहले अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं अब रेलकर्मी संकल्पित भाव से हिन्दी में कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं।

मूलशब्द: भारतीय रेल, हिन्दी भाषा

प्रस्तावना
औपनिवेशिक शासन के दौरान ही भारतीय रेलवे का जन्म हुआ था। तब से लेकर यह भारतीय भाषाओं के प्रचार–प्रसार में विशिष्ट 16, 1853 को मुंबई से थाने के बच 34 कि.मी. की दूरी की यात्रा के लिए रेल को हरी झंडी दिखाई गई थी। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को रेल के माध्यम से जोड़ने का यह एक अनुठा प्रयास था। आज लगभग 63,000 मार्ग किमी. रेल मार्ग है। प्रतिदिन 2 मिलियन ट्रेन किमी. 8700 यात्री गाड़ियों के माध्यम से लगभग 14 मिलियन यात्री अपनी यात्रा तय करते है और 5700 माल गाड़ियों द्वारा 1.4 मिलियन टन माल का लदान का यातायात तय होता है। इस संख्या के आधार पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय रेल प्रतिदिन लगभग 40 देशों की आबादी के बराबर यात्रियों को यात्रा का सौभाग्य प्रदान करती है। इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय रेल की गाड़िया एक दिन में पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच की दूरी चार गुणा के बराबर फेरे तय करती है।

हिन्दी का प्रयोग
भारतीय स्वतंत्रता के आन्दोलन काल से ही हिन्दी को संपर्क एवं राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। उस समय विदेशी शासन व्यवस्था सहित समस्त विदेशी वस्तुओं का बाहिष्कार करना हमारा प्रमुख लक्ष्य था और विदेशी भाषा अंग्रेजी के स्थान पर किसी सर्वसम्मत भारतीय भाषा के प्रयोग की आवश्यकता महसूस की गई थी। सम्पूर्ण भारतवर्ष में हिन्दी के बोलने एवं समझने वालों की संख्या तथा इसके विस्तार को ध्यान में रखकर हिन्दी को उस समय राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की पृष्ठभूमि में सबसे महत्पपूर्ण कारण यह रहा कि हिन्दी पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा बन गई।

भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यातायात के लिए रेल अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रमुख यातायात साधन है। बच्चे, जवान, प्रौढ़ एवं बूढ़े रेल की इसी लोकप्रियता के कारण बच्चों के खेलों में रेल का खेल और उनकी प्यासी वाणी में गाने के लिये रेल गीत भी सभी भाषाओं में उपलब्ध है।

भारतीय रेल में समूचे हिन्दुस्तान के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ सफर करते है। सबके बीच में प्यार बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि समूचे भारतीयों के बीच एकता का मंत्र फूंकने में भी रेलवे की भूमिका सर्वविधित है। भारतीय रेल भारतीय भाषाओं के प्रचार–प्रसार का प्रमुख माध्यम है की भूमिका प्रारंभ से ही निभा रहा है भारतीय रेलवे की पटरिया अधिकांश भारतीय भू–भाग पर विस्तृत है इन पटरियों में लाखों की संख्या में यात्री, सफर (यात्रा) करते है इन यात्रियों की कोई भी एक भाषा नहीं है ऐसे यात्रियों की सेवा में कोई चूक न रह जाए इस हेतु रेलवे का सेवाओं में सभी भारतीय भाषाओं का विशिष्ट महत्व दिया जाता है रेलवे लिपि में लिखे जाते है इसके अलावा सभी प्रकार की सूचनाएं, उक्त लिपियों का प्रयोग करते हुए क्रमशः क्षेत्रीय भाषा तथा हिंदी व अंग्रेजी में प्रदर्शित की जाती है। भिन्न भाषा भाषायी रेल में आपसी संपर्क हेतु अनायास ही हिंदी का प्रयोग करते नजर आते हैं।

रेलवे टिकिट से लेकर आरक्षण फार्म तक हर किसी प्रकार के महत्वपूर्ण कागजात में क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग करते है। रेलवे कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली लेखन सामग्री में भी हिंदी का प्रयोग नजर आता है सार्वजनिक प्रयोग वाले प्रपत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग दिखता है रेलवे कर्मचारियों व अधिकारियों के बेंचों में व पहचान पत्रों में हिंदी का प्रयोग सर्वत्र नजर आता है इसके अलावा रेलवे स्टेशनों में तथा रेल गाड़ियों के अन्दर आहार यान के कर्मीदल के बैजों में भी हिंदी का प्रयोग होता है। रेलों में भी सभी प्रकार की सूचनाएं निभाषी रूप में नजर आती है। रेलवे द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की निष्ठा अन्य सभी विभागों के लिए अनुकरणीय है। रेलवे विभाग की इस नीति के प्रति यात्री अनायास ही विशेष आंतरिक श्रद्धा प्रकट करते हैं।

भारतीय भाषाओं के लिए भारत के संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरूप पूरी निष्ठा के साथ भारतीय रेलवे भारतीय भाषाओं के प्रचार–प्रसार में योग दे रहा है। हिन्दी की प्रसार–वृद्धि करना और भारत को सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति करने वाली समक्ष भाषा के रूप में उसका विकास करना संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत सरकार का दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति की दिशा में रेलवे जैसा संगठन जिसका विस्तार लगभग समूचे भारत में होने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ऐसी भूमिका अदा करने में रेलवे के द्वारा स्थापित आदेश सबसे लिए अनुकरणीय है।

अखिल भारतीय स्तर पर एक हिन्दी साहित्यिक पत्रिका चलाने की क्षमता एवं प्रयोग की प्रगति को देखने से प्राप्त प्रेरणा से उत्पन्न हुई। इसका श्रेय हिन्दी प्रचार–प्रसार से उत्पन्न हुई। इसका श्रेय हिन्दी प्रचार–प्रसार में संलग्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को ही जाता है। रेलवे मुख्यालय की पत्रिका रेल राजभाषा ने भी

अप्रैल–जून, 1997 के अंक में की थी।
हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की दिशा में रेलवे विभिन्न अंचलों द्वारा विशिष्ट प्रयास किए जा रहे है। कई अंचलों तथा मंडलों की ओर से राजभाषा हिंदी की पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही है। ''पश्चिम रेलवे के बेबसाइट पर रेल दर्पण के दो अंक उपलब्ध है।

भारतीय रेलवे में हिन्दी का प्रयोग प्रसार

राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अबंधों के अनुसार, भारतीय रेल हिन्दी के प्रयोग प्रसार के लिए लगातार प्रयत्नशील है, 31 मार्च 2021 के अंत तक इस रेल कार्यालयों में हिन्दी में कर्मचारियों को राजभाषा नियमों के तहत् विनिर्दिष्ट विषयों में शत्–प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए निर्देश दिए गए है। हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी भाषा प्रशिक्षण गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा, भारतीय रेल हिन्दी भाषा, हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपी में सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्थाएं करता है। 2011–2012 की तुलना में 2012–2013 से 2021 के अंत तक प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है।

गतिविधि	2012 प्रशिक्षण के अंतर्गत 2013	
हिन्दी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त	789607	801325
हिन्दी टाईपिंग	6232	7236
हिन्दी आशुलिपी	3172	3249

द्विभाषी जैसे कम्प्यूटर आदि की खरीद मं मौजूदा नीति का अनुपालन किया जा रहा है। भारतीय रेलों के विभिन्न कार्यालयों में वर्ष 2013–2013 के दौरान 40,669 पर्सनल कम्प्यूटरों की व्यवस्था कराई गयी थी। रेल कार्यलयों में हिन्दी में कार्य करने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के मैनुअल स्टेशन संचालन नियमों आदि द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस समय रेलवे बोर्ड के सभी कोड मैनुअल द्विभाषी है इस प्रकार क्षेत्रीय रेलों में 890 कोड मैनुअल और 6,372 स्टेशन संचालन नियम हिन्दी/द्विभाषी रूप में तैयार/प्रकाशित किए जा चुके है। रेलवे बोर्ड सहित सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन कारखानों आदि में कुल 27,210 स्थानीय, साविधिक और मानक फार्म द्विभाषी रूप 1001 पुस्तकालयों में लगभग 17 लाख हिन्दी की पुस्तकें उपलब्ध है।

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति

क्षेत्रीय रेलों तथा रेल मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग–प्रसार की समीक्षा करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में ''रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति'' गठित करने की प्रक्रिया चल रही है। इस समिति का प्रकरण उद्देश्य भारतीय रेल राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में सुझाव देना है।

हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

रेलवे कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रोत्साहन लागू हे। इनमें व्यक्तिगत नकय पुरस्कार, सामूहिक पुरूस्कार योजना रेल मंत्री शील्ड/ट्रॉफी योजना, प्रेमचन्द और मैथलीशरण गुप्त पुरूस्कार आदि प्रमुख प्रमुख पुरूस्कार योजनाएं है तथा हिन्दी में वाक् टिप्पणी प्रारूप लेखन के लिए भी अन्य पुरूस्कार है। रेल कर्मचारियों को रेल कार्य प्रणाली पर हिन्दी में मूलरूप से तकनीकी पुस्तकें लिखने लिए प्रत्येक वर्ष लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरूस्कार योजना के अंतर्ग पुरूस्कृत किया जाता है। इसके अलावा, रेल यात्रा वृतांत पुरूस्कार योजना लागू है।

इसके अलावा, राजभाषा हिन्दी के प्रयोग–प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल में अखिल रेल हिन्दी नाट्योत्सव का आयोजन किया गया। उच्च अधिकारियों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन यिका गया और मुंशी प्रेमचंद जयंति के अवसर पर एक भव्य प्रदर्शनी एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
राजभाषा पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यकंक जैसे हिन्दी कार्यशाला टेबल ट्रेपिग अनुवाद सरलीकरण कार्यशाला सुलेखन प्रतियोगिता, निबंध, वाक टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन में प्रतियोगिताएं आयोजित, की गई। ''ग्राहक संतुष्टि में भाषा का महत्व'' पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन और पुरूस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया।

पश्चिम मध्य रेलवे में हिन्दी की भूमिका

पश्चिम मध्य रेलवे भारतीय रेल का हृदय स्थल कहलाता हे। मुख्यालय सहित इसके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले तीनों मंडल तथा दोनों कारखाने राजभाषा प्रयोग प्रसार के क्षेत्र में आते है अधिकांश ग्राहक हिन्दी भाषी है। अतः न केवल संवैधानिक व्यवस्थाओं बल्कि ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से भी हिन्दी का प्रयोग हमारे लिए अपरिहार्य है। एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मातृभाषा हिन्दी है और वे सभी हिन्दी कार्य में सक्षम है। अतः उन्हें राजभाषा में कार्य करने से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।
पश्चिम मध्य रेलवे का सौभाग्य रहा है कि इसके गठन के साथ ही इसे कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ है। फलस्वरूप अल्प समय में ही इसने रेल संचालन के साथ–साथ राजभाषा प्रयोग–प्रसार के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये हैं। इस पर पदस्थ महाप्रबंधकों के कुशल नेतृत्व व मुख्य राजभाषा अधिकारी के मार्गदर्शन में राजभाषा प्रयोग प्रसार के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। अधिकारी एवं कर्मचारी गृह मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय की विभिन्न पुरूस्कार योजनाओं में लगातार सफलताएं अर्जित कर पश्चिम मध्य रेलवे का नाम रोशन हुआ है।

भारतीय रेल पर राजभाषा विभाग की भूमिका

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां कानून बनाकर किसी पर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती है। इसी प्रकार भाषा एक मार्मिक विषय हें जिसे कानून बनाकर थोपा नहीं जा सकता है बल्कि प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से ही राजभाषा हिंदी को लागू किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तदनुसार गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ उपक्रमों/निगमों एवं बैंकों आदि में हिंदी कार्य प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजभाषा विभाग सभी जगह होने के प्श्चात राजभाषा हिंदी के प्रयोग–प्रसार में गुणत्तर प्रगति हुई है। लेकिन देखा जाए तो रेलवे की भूमिका अन्य की तुलना में बेहतर है क्योंकि रेलवे आम जनता से सीधा सरोकार रखती है। देश के हर वर्ग, प्रांत एवं भाषा के लोग रेलवे के ग्राहक हैं। रेलवे के कुल 7083 स्टेशनों पर नाम हिंदी में लिखे गए हैं या प्रदेशिक भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। भारतीय रेल की कुल 12617 यात्री गाड़ियों तथा 7349 मालगाड़ियों पर नाम, संख्या, सूचनाएं व चेतावनी आदि हिंदी में या हिंदी–अंग्रेजी द्विभाषी में लिखी गई हैं। जो आम जनता को सीधे हिंदी से जोड़ती है।
रेलवे अपनी विभिन्न राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की समीक्षा बैठकों के माध्यम से रेल पर हिंदी कार्य प्रगति की समीक्षा करती है और कमी पाई गई मदों में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए

सकारात्मक पहल भी करती है। रेलवे बोर्ड स्तर से लेकर स्टेशन स्तर तक, विभिन्न ईकाईयों, प्रशिक्षण संस्थानों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। जो प्रत्येक तिमाही में समीक्षा बैठक आयोजित कर हिंदी कार्य प्रगति पर चर्चा करती है। साथ ही देश के बड़े–बड़े शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वन समिति गठित की गई है। जो विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी कार्य प्रगति की समीक्षा अपनी छः माही बैठकों के माध्यम से करती है। रेलवे अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना कार्यालय के माध्यम से अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को उजागर करने में काफी सहायक सिद्ध हुई है। साथ ही विभागीय पत्रिकाएं/संरक्षा सुरक्षा बुलेटिन/बुकलेट/मार्गदर्शिकाएं/सूचना पत्र आदि हिंदी में संवाद करने का एक सशक्त माध्यम बनी हुई हैं।

रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष हिंदी पखवाड़ा/सप्ताह आदि के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे निबंध, बाक् कार्यक्रमों एवं राजभाषा प्रश्न मंच का रोमांचकारी आयोजन लोगों में हिंदी के प्रति उत्साह को और बढ़ा देता है जो कार्यालयों में हिंदी का अनुकूल वातावरण बनाने में बेहद मददगार साबित हुआ है।

रेलवे में संघ की राजभाषा नीति का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत किया जाता है। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में तो दिया ही जाता है बल्कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंग्रेजी में प्राप्त प्रत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाता है। निविदा, संविदा, करार, आदि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार हिंदी – अंग्रेजी द्विभाषी में ही जारी किए जाते हैं। इस प्रकार रेलवे पर राजभाषा विभाग की अति महत्वपूर्ण भूमिका।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग–प्रसार में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेलवे के जनसंपर्क स्थलों पर हिंदी का शत–प्रतिशत प्रयोग होता है। सभी यात्री सूचनाएं हिंदी–अंग्रेजी द्विभाषी रूप में लगाई जाती है। जहां एक ओर रेलवे अपने भारतीय ग्राहकों के लिए हिंदी में सूचनाएं तथा अन्य जानकारी हिंदी में प्रदर्शित करती हैं। वहीं दूसरी ओर विदेशी पर्यटकों अगंतकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी में यह सूचनाएं मुहैया कराना अपरिहार्य है।

राजभाषा प्रयोग – प्रसार की दृष्टि से पूरे भारत को तीन क्षेत्रों में यथा– 'क', 'ख' एवं 'ग' में बांटा गया है। तदनुसार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न मदों में हिंदी के प्रयोग हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सरकारी कार्यालय, उपक्रमों, बैंकों तथा नियमों एवं संस्थानों द्वारा अपनी आंतरिक एवं वाहय बैठकों समारोहों कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी के प्रयोग की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

देश को एक सूत्र में पिर्रोन के लिए भाषा का अहम योगदान होता है भारतवर्ष बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाओं की तरह ही हिंदी भाषा ने राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता बनाए रखने मे सशक्त भूमिका दर्ज की है। भारतीय रेल जनसंपर्क का एक सबसे बड़ा संगठन है। अतः भारतीय रेल में राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग आम जनता को भारतीय रेल में जोड़ना अहम कार्य करता है।

वर्तमान में भारतीय रेल पर यात्री आरक्षक प्रणाली, मोबाईल द्वारा देकर बुकिंग में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्म जैसे ज्ूपजजमतए बिमइववा में हिंदी के माध्यम से जुड़कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं का समझना सरल हो गया है।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020–21 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	''क' क्षेत्र		''ख' क्षेत्र		''ग' क्षेत्र	
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई–मेल सहित)	1 क क्षेत्र से क क्षेत्र को 2 क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3 क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 4 क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100: 100: 65: 100:	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 4 ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	99: 90: 55: 90:	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 4 ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	55: 55: 55: 55:
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100:		100:		100:	
3.	हिंदी में टिप्पण	75:		50:		30:	
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70:		60:		30:	
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80:		70:		40:	
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65:		55:		30:	
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा,टंकण,आशुलिपि)	100:		100:		100:	
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100:		100:		100:	
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई–पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50:		50:		50:	
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100:		100:		100:	
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100:		100:		100:	

12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100:	100:	100:
13.	1. मंत्रालयों/विभागो और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25: (न्यूनतम)	25: (न्यूनतम)	25: (न्यूनतम)
	2. मुचसरलस में स्थिरत अनुभागों का निरीक्षण	25: (न्यूनतम)	25: (न्यूनतम)	25: (न्यूनतम)
	3. विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/ उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से मक एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और सहित्य का हिंदी अनुवाद	100:	100:	100:
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंको/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो।	40:	30:	20:
			(न्यूनतम अनुभाग)	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारण नहीं हैं, ''क'' क्षेत्र में कुल कार्य का 40: ''ख'' क्षेत्र में 25: और ''ग'' क्षेत्र में 15: कार्य हिंदी में किया जाए।		

निष्कर्ष

भारत सरकार की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा तथा प्रोत्साहन की है रेलवे पर भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे है।

हिन्दी का महत्व केवल राजभाषा में ही नहीं, बल्कि राजभाषा के रूप में सर्वपरि है, क्योंकि बहु साक्षरों की नहीं, निरक्षरों की भी भाषा है। भारतीय रेलवे हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है, जिसमें लगभग 14 लाख व्यक्ति काम करते है और लगभग 3 करोड़ यात्री प्रतिदिन उसका उपयोग करते हैं।

देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए भाषा का अहम योगदान होता है, और भारत वर्ष में बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाओं की तरह ही हिन्दी भाषा ने राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता बनाए रखने में सशक्त भूमिका अदा की है। हिन्दी भाषा की तरह भारतीय रेल ने भी देश को एक सूत्र में बांधने का अति महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतीय रेल देश के सर्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है। जनसम्पर्क का इससे बड़ा कोई अन्य संगठन नहीं है। यह आवश्यक है कि भारतीय रेल में अधिकारी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक बढ़ाया जाए कि आम जनता भारतीय रेल से जुड़ा हुआ महसूस करें।

सन्दर्भ

1. डबलू.सी.आर. हेडक्वाटर जबलपुर
2. डबलू.सी.आर. हिन्दी पेज